

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा० नि० वि० खण्ड पीलीबंगा

कमांक- 152

दिनांक- 05.05.2022

Principal,

G.R. Global Academy

Kenchya (Hanumangarh)

विषय:- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक GRGA/2022-23/1269 दिनांक 28.04.2022

व डीडी संख्या 597066 दिनांक 02.05.2022 राशि रूपये 6000.00।

महोदय,

कनिष्ठ अभियन्ता सानिवि उपखण्ड रावतसर की निरीक्षण दिनांक 05.05.2022 के आधार पर संलग्न नक्शे में दर्शाये गये भवन के कमरें उपयोग हेतु सुरक्षित पाये जाने पर निचे दी गई निम्न शर्तों पर **भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र** जारी किया जाता है-

1. भवन में नया निर्माण कार्य करने पर विभाग को तुरन्त सूचना दी जावे।
2. भवन की छत अथवा दीवार में दृष्टि या दरार दृष्टिगत होने पर विभाग को सूचना दी जावे अन्यथा प्रार्थी किसी भी अनहोनी के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बरसात से पहले प्रारम्भिक सुरक्षा के समस्त उपाय करने की जिम्मेदारी संस्था की होगी।
4. यह प्रमाण-पत्र वर्ष **31.03.2025** तक के लिये मान्य होगा।
5. सुरक्षा प्रमाण-पत्र तीन वर्ष पश्चात् लेना अनिवार्य है।
6. भवन संरचनात्मक विवरण उपलब्ध नहीं होने पर संरचना की आंतरिक सामर्थ्य सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
7. यह भवन शैक्षणिक उपयोग के लिये उपयुक्त है या नहीं, इसकी समस्त जिम्मेदारी भवन संचालक/शिक्षा विभाग की होगी।
8. भवन के कानूनी दस्तावेज के लिये प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. भवन में प्रत्येक तल पर अग्निशामक यंत्र लगा नहीं है।
10. ए.सी सीट/खीप की छत/टिन शोड सुरक्षित नहीं है।

टिप्पणी:- (वर्ष के दौरान यदि भवन शिक्षण संस्था के अतिरिक्त अन्य गतिविधि के लिये उपयोग में लिया जाता है तो यह प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।)

भवदीय



(एन.ओ. जोशी)

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड
पीलीबंगा